



دفتر مجلس انصار اللہ بھارت

Office Of The Majlis Ansarullah Bharat

Mohallah Ahmadiyya Qadian-143516, Distt.Gurdaspur (Punjab) INDIA



ساراংশ خوتبا جوم: سय्यदना अमीरुल मोमिनीन हज़रत मिर्ज़ा मसरूर अहमद ख़लीफ़तुल मसीह अलख़ामिस अय्यदहुल्लाहु तआला बिनसिंहिल अज़ीज़ बयान फ़र्मूदा 06 नवम्बर 2024, स्थान मस्जिद मुबारक, इस्लामाबाद, यू.के.

सुलह-ए-हुदैबिय: के परिपेक्ष में सीरत-ए-नबवी सलल्लाहु अलैहि वसल्लम का बयान।

Mob: 9682536974 E.mail. ansarullah@qadian.in Khulasa khutba- 06.12.24

محله احمدیہ قادیان پنجاب-143516

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَاغْوِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ - مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ - إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ - إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ - صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ -

उतशहहद तअव्वुज़ तथा सूर: फ़ातिहा की तिलावत के बाद हुज़ूर-ए-अनवर अय्यदहुल्लाहु तआला बिनसरिंहिल अज़ीज़ ने फ़रमाया कि सुलह-ए-हुदैबिय: (मुसलमानों और काफ़िरों के बीच होने वाला शांति समझौता जिसको कुरआन ने मोमिनों की स्पष्ट विजय फ़रमाया है) के विषय में आज कुछ और अधिक व्याख्या बयान करूंगा।

सीरत ख़ातमुन्नबिय्यीन स. में हज़रत मिर्ज़ा बशीर अहमद साहब रज़ी. लिखते हैं कि सन्धियों में त्रुटियाँ रह जाया करती हैं जो कई बार बाद में महत्वपूर्ण परिणाम के रूप में प्रकट होती हैं। अतएव इस सन्धि में भी यह त्रुटी रह गई थी, इस सन्धि में यदपि मुस्लमान पुरुषों से सम्बंधित स्पष्ट नियम था किन्तु मुस्लिम महिलाओं का कोई उल्लेख नहीं था।

अभी सन्धि को कुछ दिन ही हुए थे कि कुछ मुस्लिम महिलाएं मक्का के काफ़िरों से छुट कर मदीना पहुँच गईं। उनमें सर्वप्रथम मक्का के मृत मुशरिक रईस बिन उक़बा इब्र अबी मुईत की पुत्री उम्मे कुलसूम थी जो माँ की ओर से हज़रत उसमान बिन अफ़फ़ान की बहिन भी होती थीं। उम्मे कुलसूम अति साहस के साथ पैदल ही लम्बी यात्रा करके मदीना पहुँचीं और आँहज़रत सललल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेवा में उपस्थित होकर अपने इसलाम को प्रकट किया। उसके पीछे पीछे उसके दो काफ़िर रिश्तेदार भी मदीना आ गए और उसकी वापसी की मांग करने लगे। उनका कहना यह था कि यद्यपि सन्धि में केवल पुरुष शब्द का प्रयोग हुआ है किन्तु यह सबके लिए है तथा पुरुष एवं महिला दोनों पर समान प्रभाव रखता है। उम्मे कुलसूम समझौते के शब्दों के साथ साथ इस कारण से भी, कि महिला एक दुर्बल प्राणी होती है, वापसी के लिए तय्यार न थीं।

आँहज़रत सललल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने स्वभाव एवं न्याय की दृष्टि से उम्मे कुलसूम के पक्ष में फैसला फ़रमाया। उन ही दिनों यह आयत नाज़िल हुई कि यदि कोई महिला मक्का से मदीना आए तो उसकी भली भाँती परीक्षा ले लो, तथा यदि वह नेक एवं निष्ठावान साबित हो तो उसे

कदाचित्त वापस मत लौटाओ, परन्तु यदि वह विवाहित हो तो उसका महर उसके मुशरिक पति को अवश्य अदा कर दो।

समझौते की एक शर्त यह थी कि यदि कोई मुस्लिम पुरुष मक्का से मदीना आएगा तो उसे वापस लौटाया जाएगा, परन्तु यदि कोई पुरुष मदीना से मक्का जाएगा तो काफिर उसे वापस करने के पाबन्द न होंगे। प्रत्यक्षतः इस शर्त का अभिप्रायः मुसलमानों का अपमान समझा गया था परन्तु वास्तव में ऐसा नहीं था। आरम्भ में ही आँहज़रत सललल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमा दिया था कि हाँ! ठीक है, जो व्यक्ति मदीना छोड़ कर मुसलमानों से अलग होकर जाएगा, ऐसे पाखंडी तथा ऐसे गन्दे अंग को मदीने में वापस लेने की क्या आवश्यकता है। सन्धि को अभी कुछ समय ही बीता था कि अबू बसीर जो मक्का का रहने वाला था, मुसलमान होकर मदीने आ गया किन्तु समझौते के अनुसार आँहज़रत सललल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफिरों की मांग पर उसे उनके साथ भेज दिया। जब यह पार्टी उसे साथ लेकर जा रही थी तो रास्ते में उसने अवसर पाकर पार्टी के मुख्या की हत्या कर दी तथा दूसरा व्यक्ति भाग कर मदीना आ गया और उसके पीछे पीछे अबू बसीर भी मदीना आ गया। अबू बसीर ने आँहज़रत सललल्लाहु अलैहि वसल्लम से निवेदन किया कि आप स. ने मुझे काफिरों को दे दिया था और इस प्रकार आप स. का दायित्व पूरा हो गया, परन्तु खुदा ने मुझे दुष्ट क्रौम से मुक्ति दे दी। आँहज़रत सललल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया— यह व्यक्ति तो युद्ध की आग भड़का रहा है। इस पर अबू बसीर ने यह जानकर कि आँहज़रत सललल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हर हाल में समझौते के कारण उसे वापस जाने का निर्देश देंगे, वह चुपके से मदीने से निकल गया और एक अलग स्थान पर अपना ठिकाना बना लिया। जब मक्का के दूसरे कमज़ोर मुसलमानों को अबू बसीर के अलग ठिकाने का पता चला तो वे भी धीरे धीरे वहाँ जमा होना शुरू हो गए। उन्हीं लोगों में मक्का के सरदार सुहैल बिन उमरू का लड़का अबू जन्दल भी था। इन लोगों कि संख्या सत्तर, और कुछ अन्य रिवायतों में तीन सौ तक बयान की गई है। इस प्रकार धीरे धीरे मदीने के अतिरिक्त एक और मुस्लिम रियासत वजूद में आ गई। चूँकि यह इलाका शाम देश के रास्ते में था इस लिए इन मुसलमानों की प्रायः मुटभेड़ काफिरों के साथ रहती थी और इस नए मोर्चे से तंग आकर काफिरों ने खुद आँहज़रत सललल्लाहु अलैहि वसल्लम से निवेदन किया कि इन मुसलमानों को भी वापस बुलवा लें। जब आँहज़रत सललल्लाहु अलैहि वसल्लम का पत्र अबू जन्दल और अबू बसीर के पास पहुंचा तो अबू बसीर बीमार होकर निष्क्रिय हो गया था। उसने बड़े चाव से हुज़ूर स. के पत्र को हाथ में थामे रखा और उसी अवस्था में उनका निधन हो गया जबकि शेष मुसलमान मदीना आ गए।

पश्चिमी पक्षपाती विद्वान लेखक अपने स्वभाव के अनुसार आपत्ति करते हैं, इन आपत्तियों में से दो ध्यान देने योग्य आपत्तियों पर हज़रत मिर्ज़ा बशीर अहमद साहब रज़ी. ने आलोचना की है। जिन में से पहली आपत्ति महिलाओं को वापस करने पर सन्धि की अवहेलना का है और दूसरी आपत्ति अबू बसीर एवं अबू जन्दल की घटना पर है।

इन आपत्तियों के जवाब में यह याद रखना चाहिए कि पहली बात तो यह है कि यह सन्धि मक्का के काफिरों के साथ हुई थी जो पहले दिन से ही मुसलमानों के विरुद्ध उत्सुक थे। फिर यह कि खुद मक्के के काफिरों की गवाही मौजूद है कि आँहज़रत सललल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी समझौतों की अवहेलना नहीं की, अतः जब रौम के राजा हर्कुल को आँहज़रत सललल्लाहु अलैहि वसल्लम का तबलीगी पत्र मिला तो उसने अबू सुफयान को जो उस समय काफिरों के सरदारों में से था और उस समय शाम देश में मौजूद था, उसे बुलाया और यही सवाल किया तो अबू सुफयान ने जवाब देते हुए कहा कि नहीं! मुहम्मद (सललल्लाहु अलैहि वसल्लम) ने कभी समझौतों की अवहेलना नहीं की।

महिलाओं की वापसी पर आपत्ति के अंतर्गत हज़रत मिर्ज़ा बशीर अहमद साहब रज़ी. ने सही बुखारी में लिखे हुए शब्दों को पेश करते हुए फ़रमाया कि इन स्पष्ट तथा शर्त विहीन शब्दों के होते हुए यह आपत्ति करना केवल अन्याय नहीं बल्कि अत्यंत बेइमानी है। यदि यह कहा जाए कि इतिहास की कुछ रिवायतों में सन्धि के शब्दों में "रजुल" (पुरुष) का शब्द नहीं बल्कि सामान्य शब्द उपयोग में लाए गए हैं जिनसे स्त्री एवं पुरुष दोनों समझे जा सकते हैं। इसका जवाब यह है- अब्बल तो सुदृढ़ रिवायत, जिसमें "रजुल" शब्द आता है, उसी को प्राथमिकता दी जाएगी। दूसरा यह कि ऐतिहासिक रिवायतें जिनमें विभिन्न शब्द आते हैं, वे भी इसी व्याख्या को दर्शाते हैं जो की गई है। उदाहरणतः सीरत इब्ने हिश्शाम में जो शब्द हैं वहां निःसन्देह पुरुष का शब्द नहीं, किन्तु समस्त व्याकरण वही है जो पुरुषों के लिए उपयोग में लाई जाती है।

दूसरी आपत्ति जिसका सम्बन्ध अबू बसीर की घटना से है, यह भी विचार करने पर बिलकुल निरर्थक लगती है। निःसन्देह आँहज़रत सललल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह सन्धि की थी, परन्तु सवाल यह है कि क्या आँहज़रत सललल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस समझौते की अवहेलना की? कदाचित नहीं! आप स. ने तो इस सन्धि की पाबन्दी का शानदार नमूना दिखाया।

विचार करें! अबू बसीर इसलाम की सच्चाई को स्वीकार करके मक्का से भागता है, छिपता छिपाता मदीने पहुँच जाता है, परन्तु उसके दुष्ट रिश्तेदार उसके पीछे पहुँच जाते हैं और तलवार का ज़ोर दिखाकर वापस ले जाना चाहते हैं। दोनों पक्ष आँहज़रत सललल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेवा में उपस्थित होते हैं। अबू बसीर आँहज़रत सललल्लाहु अलैहि वसल्लम से भर्राई हुई आवाज़ में निवेदन करता है कि या रसूलुल्लाहु सललल्लाहु अलैहि वसल्लम! मुझे खुदा ने इसलाम की अनुकम्पा प्रदान की है और मक्के वापस जाने में दुःख एवं कठिनाई वाला जीवन मेरे सामने है, आप स. जानते हैं, खुदा के लिए मुझे वापस न भिजवाएँ। दूसरी ओर अबू बसीर के रिश्तेदार उस समझौते का हवाला देते हैं, आँहज़रत सललल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने दिल में बड़ा दुःख था परन्तु ऐसे समय पर भी आप स. ने अमानत और ईमानदारी का पूरा ध्यान रखा।

आप स. ने फ़रमाया- ऐ अबू बसीर! तुम जानते हो कि हम इन लोगों से पक्का वादा कर चुके हैं और हमारे दीन में वादा तोड़ना जायज़ नहीं है, अतएव तुम इन लोगों के साथ चले जाओ और अगर फिर तुम इसलाम पर धैर्य एवं सुदृढ़ता के साथ कायम रहोगे तो खुदा तुम्हारे लिए और तुम जैसे पीड़ितों के लिए खुद कोई मुक्ति का मार्ग खोल देगा। नबी करीम स. के इस वक्तव्य पर अबू बसीर वापस चला गया। इस घटना के बाद के विवरण पर यदि आपत्ति की जाए कि मक्का से निकलने वाला व्यक्ति चाहे कहीं भी हो आप स. उसे मक्का वापस पहुँचाने के लिए उत्तरदायी होंगे, तो समझौते में ऐसी कोई बात नहीं थी। मदनी राजनीति की परिधि से बाहर लोगों को वापस मक्का पहुँचाने का उत्तरदायी आँहज़रत सललल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना, बुद्धि के विरुद्ध बात है। यह शर्तें मक्के के काफ़िरों ने खुद रखी थीं और जो कांटे उन्होंने खुद बोए थे वे खुद ही उनका शिकार हुए। निःसन्देह वे लोग जो अबू बसीर के साथ उस इलाक़े में जमा हुए, धार्मिक दृष्टि से मुसलमान थे, किन्तु सांसारिक, राजनैतिक, शासनिक तथा वैधानिक दृष्टि से आप स. का उन पर कोई अधिकार नहीं था। यह शर्त कि वे लोग राजनैतिक दृष्टि से आँहज़रत सललल्लाहु अलैहि वसल्लम के आधीन न होंगे, स्वयं काफ़िरों ने रखी थी, जब खुद काफ़िरों ने इन मुसलमानों को आँहज़रत सललल्लाहु अलैहि वसल्लम की राजनीति से निकाल दिया तो फिर आँहज़रत सललल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आपत्ति कैसी। यह मक्के के काफ़िरों की अपनी चाल थी जो खुद उन्हीं पर लौट कर गिरी। आप स. का दामन जो पवित्र था पवित्र रहा। आप स. ने सन्धि के शब्दों को भी निभाया और अबू बसीर को मक्के वालों के हवाले करते हुए मदीने से विदा कर दिया और फिर आप स. ने समझौते की मूल आत्मा को भी पूरा किया, और अबू बसीर तथा उसके साथियों को

अपनी राजनीती की परिधि से बाहर रखा। परन्तु ये लोग न्याय से काम नहीं लेते और इसलाम तथा आँहज़रत सललल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर निराधार आपत्ति करते हैं।

हुज़ुरे अनवर ने ख़ुत्बे के अंत में फ़रमाया कि आज भी न्याय के ठेकेदारों के यही दोहरे स्तर हैं, आज भी इसी चीज़ ने दुनिया में फ़साद पैदा किया हुआ है। अल्लाह तआला आज भी दुनिया को और विशेष रूप से मुसलमानों को इन दज़्जाल के फ़ितनों से बचाए।

الْحَمْدُ لِلَّهِ مُحَمَّدٌ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا
مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ
وَرَسُولُهُ، عِبَادَ اللَّهِ رَحِمِكُمْ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ
يَعْظُمُ لِعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ فَادْكُرُوا اللَّهَ يَذْكُرْكُمْ وَادْعُوهُ يُسْتَجِبْ لَكُمْ وَلِذِكْرِ اللَّهِ أَكْبَرُ -

हिन्दी अनुवाद को अधिक सुन्दर बनाने हेतु सुझाव का स्वागत है, सम्पर्क अनुवादक- 9781831652

टोल फ्री नम्बर अहमदिय्या मुस्लिम जमात, पंजाब- 18001032131